रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042023-245501 CG-DL-E-27042023-245501

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] No. 257] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2023/वैशाख 7, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2023/VAISAKHA 7, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सं. 33/2023-सीमाश्ल्क

सा.का.िन. 319(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विर्निदिष्ट वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के कॉलम(3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विर्निदिष्ट सीमा तक और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

क्रम.सं.	अधिसूचना सं. तथा दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 11/2022 –सीमाशुल्क, 1	उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात, निम्नलिखित
	फरवरी, 2022, सा.का.नि (85अ), दिनांक	परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा
	1 फरवरी, 2022 के तहत ।	"बशर्ते कि उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित
		माल के संबंधित विवरण के समक्ष कॉलम (4) में
		विनिर्दिष्ट कर की दर उस समय भी लागू होगी जब ऐसे

2775 GI/2023 (1)

		माल को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा हो कि उस
		पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के
		व्याख्या संबंधी सामान्य नियमावली के नियम 2 (क) का
		प्रावधान लागू होता हो, बशर्ते कि कॉलम (5) में
		विनिर्दिष्ट संबंधित शर्ते पूरी होती हों।
2.	अधिसूचना सं. 12/2022 –सीमाशुल्क, 1	उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण के पश्चात, निम्नलिखित
	फरवरी, 2022, सा.का नि (86 अ),	परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा
	दिनांक 1 फरवरी, 2022 के तहत ।	"बशर्ते कि उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित
		माल के संबंधित विवरण के समक्ष कॉलम (4) में
		विनिर्दिष्ट कर की दर उस समय भी लागू होगी जब ऐसे
		माल को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा हो कि उस
		पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के
		व्याख्या संबंधी सामान्य नियमावली के नियम 2 (क) का
		प्रावधान लागू होता हो, बशर्ते कि कॉलम (5) में
		विनिर्दिष्ट संबंधित शर्ते पूरी होती हों।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/300/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी] राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट:

- 1. प्रधान अधिसूचना सं. 11/2022- सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2022 को सा. का.नि 85 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था।
- 2. प्रधान अधिसूचना सं. 12/2022- सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2022 को सा. का.नि 86 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

No. 33/2023-Customs

G.S.R. 319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes amendments in the following notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in Column (2) of the Table below to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:

S. No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 11/2022-Customs, dated the 1 st February, 2022, <i>vide</i> number G.S.R. 85(E), dated the 1 st February, 2022.	In the notification, after the Table, the following proviso shall be inserted, namely:-
		"Provided that the rate of duty specified in Column (4) against the respective description of goods mentioned in

		Column (3) of the Table above shall apply even when such goods are presented together in a manner so as to attract the provision of rule 2(a) of the General Rules of Interpretation of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975, subject to the respective conditions specified in column (5).";			
2.	Notification No. 12/2022-Customs, dated the 1 st February, 2022, <i>vide</i> number G.S.R. 86(E), dated the 1 st February, 2022.	In the notification, after the <i>Explanation</i> , the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that the rate of duty specified in Column (4) against the respective description of goods mentioned in Column (3) of the Table above shall apply even when such goods are presented together in a manner so as to attract the provision of rule 2(a) of the General Rules of Interpretation of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975, subject to the respective conditions specified in column (5).".			

[F. No. CBIC-190354/300/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note:

- 1. The principal notification No. 11/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.85(E), dated the 1st February, 2022.
- 2. The principal notification No. 12/2022-Customs, dated the 1st February, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.86(E), dated the 1st February, 2022.